Research Ambition ISSN: 2456-0146
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer - reviewed, Open Accessed & Indexed)
Web: www.researchambition.com Email: publish2017@gmail.com
Vol. 4, Issue-IV
Feb. 2020

स्वतंत्रता पश्चात् दलितोत्थान (1947 से 1970): बिहार के विशेष संदर्भ में

*डॉ. प्रभात रंजन

संक्षिप्त रूप:

स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नेताओं का एक मात्र उद्देश्य यह था कि वे भारत में एक आधुनिक, समतामूलक, प्रगतिशील राज्य की स्थापना करे। जिसमें जाति–धर्म–लिंग के नाम पर कोई विभेद नहीं हो तथा सबों को जीवन में आगे बढ़ने का समान अवसर मिल सके। इस कार्य में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने संविधान के माध्यम से सदियों से भारत में चली आ रही विभेदकारी एवं शोषणकारी सामाजिक व्यवस्था को मिटाने का भरपूर प्रयास किया गया। स्वतंत्रता पूर्व बिहार प्रांत भी सामंतवादी कुप्रथाओं के दलदल में फँसा हुआ था। अभी भी यहाँ पिछड़ी जातियों को अछूत एवं हेय दृष्टि से देखा जाता था और उनके ऊपर तरह–तरह के अमानवीय अत्याचार किए जाते थे। 1950 ई0 में भारत में गणतंत्र की स्थापना के पश्चात नये संविधान के तहत 1952 में भारत में पहला चुनाव हुआ जिसमें भारतीय संविधान के तहत दलितों के उत्थान के लिए तथा केन्द्रीय एवं विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के लिए सीटें आरक्षित की गईं। जिसके तहत बिहार में लोकसभा के कुल सीटों की संख्या 55 तय की गई तथा इनमें से 7 सीट दलितों के लिए आरक्षित किए गए। 1957 के संसदीय चुनाव में बिहार में कुल सीटों की संख्या 53 कर दी गयी जिसमें 7 दलित नेता विजयी हुए जो थे भोला राउत, रामेश्वर साहू, रामधनी दास, नयनतारा दास, भेली सरदार, जगजीवन राम एवं चन्द्रमणी लाल चौधरी सभी सफल उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के ही टिकट पर विजयी हुए थे। अछूत एवं दलितों की प्रमुख समस्या अस्पृश्यता और इससे उत्पन्न सामाजिक असमर्थता थी। महात्मा गाँधी ने ब्रिटिश सरकार को 1932 में अपने अनशन के द्वारा प्रसिद्ध पूना पैक्ट को स्वीकार करने कि लिए बाध्य किया जिसके परिणामस्वरूप अछूत एवं दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की उपयोग को छोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार को विवश किया गया। इसके बदले में दोनों राज्य एवं केन्द्र विधान मण्डलों में अछूत एवं दलितों के लिए बहुत से पद आरक्षित किए गए। सरकार द्वारा 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लागू किया गया। सरकार के इस कदम से अछूत एवं दलित वर्ग के लोगों को काफी राहत मिली तथा समाज में उनके सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में भागीदारी का मार्ग खुला। अस्पृश्यता के आधार पर सार्वजनिक पूजा–पाठ के स्थानों में प्रवेशों करने पर प्रतिबंध हटाया गया। इस प्रकार अछूत एवं दलितों को पूजा–पाठ, प्रार्थना, पवित्र जलाशय से पानी लाने एवं उसमें स्नान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। अभ्यासों का प्रयोग करने वालों को कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों से दंडित करने का प्रावधान हुआ।

शब्दकुंजी : स्वतंत्रता, जाति–धर्म, भेदभाव, शोषणकारी समाज, कुप्रथा, संविधान, विधानसभा, प्रतिनिधित्व, दलित नेता, अस्पृश्यता, अछूत, दलित, सांस्कृतिक क्षेत्र, भागीदारी, आर्थिक दण्ड।

* पीएच.डी., बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

प्रस्तावना

15 अगस्त, 1947 में भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त हुआ। स्वतंत्र भारत के नेताओं ने भारत में एक आधुनिक, समतामूलक, प्रगतिशील राज्य की स्थापना की कामना की। उनके सपनों का भारत एक ऐसा भारत होना था जिसमें जाति–धर्म–लिंग के नाम पर कोई विभेद नहीं होना था। सबों को जीवन में आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना था। उनकी ये भावनाएँ नये भारतीय संविधान में स्वीकृत हुई। भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्हें संविधान प्रारूप निर्माण समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। संविधान के माध्यम से सदियों से भारत में चली आ रही विभेदकारी एवं शोषणकारी सामाजिक व्यवस्था को मिटाने का भरपूर प्रयास किया गया। वास्तविकता यह थी कि सदियों से चली आ रही सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था सामंतवादी ढाँचे पर खड़ी थी जिसमें जातीय प्रभुता का बोलबाला था। बिहार प्रांत भी सामंतवादी कुप्रथाओं के दलदल में फँसा हुआ था। अभी भी यहाँ पिछड़ी जातियों को अछूत एवं हेय दृष्टि से देखा जाता था और उनके ऊपर तरह–तरह के अमानवीय अत्याचार किए जाते थे। आर0 एल0 चन्दापुरी ने अपनी पुस्तक **'भारत में ब्राह्मणराज और पिछड़ावर्ग'** में लिखा है कि 1949 ई0 में वे एक बार मुंगेर जिला में यात्रा कर रहे थे। जब वे बरबीघा थाने के महरथ गाँव के पास पहुँचे तो उस गाँव के दलितों ने उनकी टोली को घेर लिया और कहा कि जब कभी वे अपने बच्चों के मामूली शिक्षा के लिए मिट्टी के बने कमरों पर फूस की छावनी डालते हैं तो ऊँची जाति के भूमिहार लोग उसे ढ़ाह देते हैं। उनके बच्चों को पढ़ने–लिखने नहीं देते हैं और मार–पीट भी करते हैं। चन्दापुरी ने आगे लिखा कि मुझे यह सुनकर बहुत दुःख हुआ, मैंने तत्काल उस मिट्टी के कमरे पर फूस की छप्पर दिलवाया। वह गाँव मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह के विधानसभा का था। मैने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। मैने वहाँ के दलितों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा प्राप्त करना सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसमें जाति–धर्म–लिंग बाधक नहीं हो सकता। मैं अपनी जान की कीमत पर झोपड़ी कभी नहीं गिरने दूँगा।[1]

1951 से लेकर 1970 तक अछूत एवं दलित उद्धार एवं कल्याणार्थ सरकार द्वारा उठाये गये कदमों एवं विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा किया गया है। भारतीय संविधान ने सामाजिक कुरीतियों, रूढ़िवादी परंपराएँ, छुआछूत, अमानवीय व्यवहारों और उच्च–नीच की भेद–भाव समाप्त करने में किस हद तक कारगर हुआ इसका संश्लेषणात्मक समीक्षा किया गया है। साथ–ही–साथ इन वर्गों को संविधान में समुचित स्थान मिला की नहीं इसकी गहराई में जाकर जाँच करने का प्रयास किया गया है। संविधान द्वारा इन वर्गों के उत्थान एवं कल्याण के लिए सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया, इसका फायदा किस हद तक इन वर्गों को मिला, क्या यह फायदा सिमट कर इनके उच्च वर्गों तक ही रह गया, इसकी व्याख्या की गई है। स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में विकास किस हद तक हुआ इसकी व्याख्या की गई है। आधुनिक आद्योगिक एवं समृद्धशाली राष्ट्र की संरचना में अछूत एवं दलित वर्ग के लोगों ने कहाँ तक अपने देशवासियों को सहयोग, भागीदारी एवं अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया इसकी स्पष्ट व्याख्या की गयी है। आज के समाज में इन वर्गों की स्थिति क्या है इसको दर्शाने का प्रयास किया गया है।

1950 ई0 में भारत में गणतंत्र की स्थापना की गई। नये संविधान के तहत 1952 में भारत में पहला चुनाव हुआ। भारतीय संविधान के तहत दलितों के उत्थान के लिए तथा केन्द्रीय एवं विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के लिए

सीटें आरक्षित की गईं। भारतीय गणतंत्र की एक प्रमुख विशेषता यह मानी गई कि उसके अंतर्गत वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार को बहाल किया गया। मताधिकार जाति, धर्म और आर्थिक हैसियत के आधार पर प्रदान किया गया। पहली बार दलितों को अपने देश के भावी प्रशासन की रूपरेखा को निर्धारित करने का अवसर प्राप्त हुआ। वयस्क मताधिकार की अवधारणा ने निश्चित रूप से दलित समाज में हलचल पैदा कर दी और सदियों से उनके समाज में फैली जड़ता एकाएक टूटने लगी। सामाजिक गतिशीलता एक वास्तविकता बनी। 1952 ई0 में संसद के लिए पहला चुनाव हुआा। बिहार में लोकसभा के कुल सीटों की संख्या 55 तय की गई। इनमें से 7 सीट दलितों के लिए आरक्षित किए गए। इन आरक्षित सीटों पर शाहाबाद दक्षिण से कांग्रेस के प्रत्याशी जगजीवन राम, सारण–सह चम्पारण निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के ही भोला राउत, भागलपुर–सह–पूर्णिया निर्वाचन क्षेत्र से सोशलिस्ट पार्टी के केराई मुसहर, मुंगेर–सह–जमुई से नयनतारा दास, मुजफ्फरपुर–सह–दरभंगा से रामेश्वर साहू, गया पूर्व रामधनी दास, मानभूम उत्ता से मोहन हरि निर्वाचित हुए। 1957 के संसदीय चुनाव में बिहार में कुल सीटों की संख्या 53 कर दी गयी जिसमें 7 दलित नेता विजयी हुए। ये थे भोला राउत, रामेश्वर साहू, रामधनी दास, नयनतारा दास, भेली सरदार, जगजीवन राम एवं चन्द्रमणी लाल चौधरी सभी सफल उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के ही टिकट पर विजयी हुए थे। इससे स्पष्ट होता है कि आजादी के बाद के प्रारंभिक वर्षों में बिहार के दलितों की आस्था कांग्रेस पार्टी के प्रति अक्षुण बनी रही। 1962 के संसदीय चुनाव में पुनः एक बार कांग्रेस पार्टी को दलितों के लिए आरक्षित सभी सीटों पर सफल होने का मौका मिला। सफल होने वाले उम्मीदवार थे– भोला राउत, नयनतारा दास, चन्द्रमणी लाल चौधरी, रामधनी दास, रामेश्वर प्रसाद साहू, जगजीवन राम, एवं तुलमोहन राम को छोड़कर सभी सदस्य पहले भी संसद के लिए चुने गए थे। 1970 तक जाते–जाते राम मनोहर लोहिया एवं जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में गैर–कांग्रेसवाद जोर पकड़ने लगा और पहली बार कई प्रांतों में गैर–कांग्रेस सरकार का गठन भी हुआं। लेकिन संसदीय चुनाव में कांग्रेस ने किसी तरह अपनी पूर्व स्थिति को बरकरार रखा। बिहार में दलितों के लिए आरक्षित 7 स्थानों में छः स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली और एक सीट संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को प्राप्त हुआ। कांग्रेस की ओर से विजयी लोगों में तुलमोहन राम, भोला राउत, रामधनी दास, नयनतारा दास, कमला कुमारी एवं जगजीवन राम थे। पहली बार रोसड़ा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के केदार पासवान विजयी घोषित किए गए। उनकी जीत देश में आनेवाली राजनीतिक हलचल की प्रतीक थी।

1952 में बिहार में विधान सभा के लिए 318 में से 46 सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गयीं। इन सीटों पर कांग्रेस, सोशलिस्ट, झारखण्ड पार्टी, जनता पार्टी एवं निर्दलीय सदस्य जीतकर आए। जीतनेवालों में प्रमुख नेता मुंगेरी लाल, महावीर प्रसाद, महावीर चौधरी, जगलाल चौधरी, यमुना राम, बालेश्वर राम, डूमर लाल बैठा, भोला पासवान शास्त्री, रामरतन राम थे। दलितों के लिए पूरे सीटों का 13.3 प्रतिशत सीट आरक्षित किया गया था। निर्वाचित सदस्यों ने केन्द्र एवं बिहार की सरकार से आग्रह किया कि दलितों के उत्थान के लिए संविधान में दी गई सुंविधाओं का यथासंभव लाभ दलितों को पहुँचाया जाये। दलितों को सरकारी सेवाओं में सम्मानजनक स्थान दिया जाये। दलितों के बच्चों की शिक्षा–दीक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की जाये। दलितों के बीच एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाये जिससे अधिकाधिक दलित बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों में उन्हें आरक्षण की सुविधा मुहैया कराई जाय। दलितों के लिए निवास–स्थान का निर्माण किया जाये। सरकार की

ओर से कल्याणकारी कदम उठाए जाएँ जिससे दलित कम–से–कम समय में अपनी गलतियों को भुलाकर राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल हो सकें और स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक के रूप में स्वयं को गौरवान्वित कर सकें।[2]

दलित जाति के शोषण को समाप्त करने के लिए अवैदिक साहित्य की रचना पर इस काल में जोर दिया गया। दलित जाति के लोगों के द्वारा यह महसूस किया गया कि वैदिक साहित्य ब्राह्मणवादी साहित्य थे जिसमें दलितों को हेय रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस साहित्य से उनके आत्मसम्मान को धक्का लग रहा था। अतः उनके आत्मगौरव और आत्मसम्मान की रक्षा के लए एक साहित्य का सृजन जरूरी था जो उन्हे समाज में सम्मानजनक स्थान दिला सके और वे खुली हवा में बेहिचक साँस ले सकें। इसी उद्देश्य से जनसाहित्य की रचना की गई। जमीन से जुड़े बुद्धिजीवी, लेखक एवं साहित्यकारों ने फरवरी 1949 ई0 में पटना में जनलेखक संघ का गठन किया। इस संघ के प्रथम अधिवेशन की अघ्यक्षता करते हुए आर0 एल0 चन्दापुरी ने कहा– आजादी प्राप्ति के बाद पिछड़े वर्गों, शोषितों एवं दलितों की मुक्ति आंदोलन देश की सामाजिक, आर्थिक क्रांति का मेरूदण्ड है। इसके लिए अवैदिक साहित्य की रचना करना लेखकों एवं साहित्यकारों का दायित्व है। जो लोग साहित्य में सत्यम शिवम एवं सुन्दरम को देखना चाहते हैं उन्हें पीड़ित मानवता, दलितों–शोषितों की झोपड़ियों में जाना चाहिए और उन्हे दलदल से मुक्त करना चाहिए।[3]

यह महत्वपूर्ण है कि बिहार में अन्य प्रांतों की तरह दलितोत्थान दलित में नेताओं के अलावा गैर–दलित नेताओं ने भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। बिहार में जगजीवन राम, जगलाल चौधरी, भोला पासवान शास्त्री के अतिरिक्त इस काल में राजेन्द्र प्रसाद, शिवनंदन प्रसाद मंडल, देवशरण सिंह, वीरचंद पटेल, अब्दुल क्यूम अंसारी एवं मोहम्मद नूर जैसे नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके अलावा श्री वैद्यनाथ प्रसाद चौधरी, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, ध्वजा प्रसाद साहू, गजानंद दास, गोपालजी झा शास्त्री जैसे रचनात्मक क्षेत्र के नेताओं ने भी दलितोत्कर्ष को अपना प्रमुख कार्यक्रम बनाया। उन्होंने दलितोत्कर्ष के कार्यक्रम को सर्वोदय एवं ग्रामदान आंदोलन का हिस्सा बनाया। प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण, एवं रामनंदन मित्र जैसे लोगों ने भी छुआछूत और जाँत–पाँत के विभेदों को जड़–मूल से उखाड़ फेंकने की वकालत की। रामनंदन मित्र ने कहर कि वे दलितों एवं पिछड़ी जातियों के कल्याण में देश का कल्याण देखते थे और इसी उद्देश्य से वे उन्हें जागृत एवं संगठित कर रहे थे।

अछूत एवं दलितों की प्रमुख समस्या अस्पृश्यता और इससे उत्पन्न सामाजिक असमर्थता थी। महात्मा गाँधी ने कहा था कि अस्पृश्यता हिन्दू धर्म पर एक कलंक है।[4] उनहोंने बाद में यह भी कहा कि अस्पृश्यता का उपयोग अमानुषिक तथा हिताहित के विवेक के विरूद्ध है।[5] भारतीय धार्मिक ग्रन्थ अस्पृश्यता के दुर्गुणों के समर्थक थे। गाँधी जी ने पुनः बल दिया था कि शास्त्रों में बहुत से ऐसे प्रमाण हैं जो मानवता के मौलिक नियमों या सत्य और अहिंसा की नैतिकता के विरूद्ध हैं।[6] महात्मा गाँधी ने ब्रिटिश सरकार को 1932 में अपने अनशन के द्वारा प्रसिद्ध पूना पैक्ट को स्वीकार करने कि लिए बाध्य किया जिसके परिणामस्वरूप अछूत एवं दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की उपयोग को छोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार को विवश किया गया। इसके बदले में दोनों राज्य एवं केन्द्र विधान मण्डलों में अछूत एवं दलितों के लिए बहुत से पद आरक्षित किए गए।[7]

बिहार विधान सभा में अस्पृश्यता के प्रयोग को अन्त करने के लिए अछूत एवं दलितों ने अनेक प्रश्न पूछे।[8] कांग्रेसी, नेतागण राजनैतिक सक्रियतावादियों और स्वयंसेवकों ने भी अस्पृश्यता के निवारण के लिए आवाज बुलन्द

की परन्तु अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए 1949 तक सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया। भारतीय संविधान के पृष्ठों पर यह धारणा प्रतिबिम्बित हुई। भारतीय संसद के सदस्यों और बिहार व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों का ध्यान इस ओर बिशेष रूप से आकृष्ट हुआ।[9] भारतीय संसद के सदस्यों और बिहार व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों ने अस्पृश्यता निवारण कि लिए विधान सभा में अनेकानेक प्रश्न पूछे।[10] भारतीय संसद ने बहुमत से अस्पृश्यता के प्रयोग को निवारण करने के लिए कानून बनाया। इस कानून का अभिप्राय अस्पृश्यता के उन्मूलन को प्रभावी करने के लिए सारे देश में समान कानून बनाना था। अस्पृश्यता को व्यवहार में लाने वालों के लिए दण्ड का विधान किया गया।[11] सरकार द्वारा 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लागू किया गया। सरकार के इस कदम से अछूत एवं दलित वर्ग के लोगों को काफी राहत मिली तथा समाज में उनके सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में भागीदारी का मार्ग खुला।

अस्पृश्यता के आधार पर सार्वजनिक पूजा–पाठ के स्थानों में प्रवेशों करने पर प्रतिबंध हटाया गया। इस प्रकार अछूत एवं दलितों को पूजा–पाठ, प्रार्थना, पवित्र जलाशय से पानी लाने एवं उसमें स्नान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। अभ्यासों का प्रयोग करने वालों को कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों से दंडित करने का प्रावधान हुआ।

इस प्रकार धार्मिक असमर्थता जिसमें अछूत एवं दलित वर्ग वंचित थे, का निराकरण किया गया। अछूत एवं दलितों के सामाजिक असमर्थता को हटाने के लिए भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए जो निम्नलिखित थे:[12]

1. किसी दुकान, में सार्वजनिक निवास और सार्वजनिक मनोरंजन स्थान में प्रवेश का प्रावधान।
2. किसी पेशा, तिजारत या व्यवसाय का व्यवहार कर सकते थे।
3. सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल वे कर सकते थे।
4. किसी दातव्य न्यास के अन्तर्गत किसी लाभ के उपयोग का प्रावधान हुआ।
5. किसी सार्वजनिक जलपान गृह, भोजनालय, धर्मशाला, मुसाफिर खाना में रखे हुए बर्तनों को अछूत एवं दलितों द्वारा उपयोग करने का प्रावधान।
6. दातव्य या सार्वजनिक अभिप्राय से किसी स्थान में प्रवेश का द्वार दलितों के लिए खोलने का प्रावधान हुआ।
7. किसी नदी, जलाशय, कल, स्नान घाट, श्मशान घाट, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ, मार्ग और सार्वजनिक स्थान के उपयोग का प्रावधान हुआ।
8. आभूषणों एवं सजावटों के उपयोग का प्रावधान हुआ।
9. किसी भी क्षेत्र में निर्माण और आवास की प्राप्ति का प्रावधान हुआ।
10. सामाजिक और धार्मिक रीति–रिवाज, पर्व–त्योहार में भाग लेने का अधिकार मिला।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की अवधि में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार ने निश्चय किया कि अछूत एवं दलित (अनुसूचित) के विरूद्ध निम्नलिखित कार्य दण्डनीय अपराध होगा :

1. किसी चिकित्सालय, दातव्य औषधालय, शिक्षण–संस्था तथा भोजनालय प्रवेश के उपयोग से वर्जित करने पर।
2. कोई भी सामान यदि हरिजनों के हाथ बेचने से इन्कार किया जाए तो वह भी दण्डनीय अपराध होगा।[13]

3. अगर अछूत एवं दलितों (हरिजनों) को भारतीय संविधान की धारा 17 के अन्तर्गत जो अधिकार प्राप्त है उनके उपयोग को रोकते तो वह दंडनीय अपराध समझा जाएगा।[14]

ये सभी प्रावधान इस बात के द्योतक हैं कि सरकार बिहार के पद–दलितों और हरिजनों के सामाजिक असमर्थता जिससे दीर्घकाल से वे उत्पीड़ित थे, को दूर करने के लिए कृत–संकल्प थी। इस कानून के अन्तर्गत अपराधों को संज्ञेय समाधेय मान ली गई। भारत सरकार और बिहार सरकार इस दिशा में बहुत दूर तक सफल हुए।[15]

स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गाँधीजी को अछूत एवं दलित वर्ग से इतना गहरा लगाव एवं प्रेम हो गया हो गया कि उन्होंने इस वर्ग के लिए एक सामान्य नाम हरिजन कहकर सम्बोधित किया। हरिजन अर्थात हरि+जन इसका मतलब ईश्वर का आदमी। जिसका कोई सहायता नहीं करता है उसको ईश्वर की सहायता करता है जिसका कोई मित्र नहीं है उसका ईश्वर ही मित्र है। किन्तु बाद में चलकर डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने इस वर्ग के लिए एक सामान्य नाम अनुसूचित जाति दिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने इस वर्ग के लिए अनुसूचित जाति के रूप में भारतीय संविधान में स्थान प्रदान किया तब से इस वर्ग के लिए अनुसूचित जाति के रूप में प्रयोग होने लगा।

आजादी के उपरान्त बिहार में दलितोत्थान के प्रयास में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी अभीष्ट प्रभाव पड़ा। अखिल भारतीय परिगणित जाति संघ के अध्यक्ष के रूप में अम्बेडकर ने पहली बार 1951 ई0 में बिहार का दौरा किया था। 6 नवम्बर को वे घटना पहुँचे। उनके साथ उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर एवं परिगणित जाति संघ के महामंत्री पी.एन. राजमोज भी थे। पटना के गाँधी मैदान में उनका भव्य स्वागत किया गया। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा– ''मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि महात्मा बुद्ध की पवित्र भूमि पर सामाजिक क्रांति का बीज फिर से अंकुरित हो गया है। यह वही स्थान है जहाँ से ज्ञान का प्रकाश सारे विश्व में फैला है। देश के शोषितों संगठित हो और आगे बढ़ो। वर्ण–व्यवस्था और जाति–प्रथा के कारण शूद्र, अति शूद्र, पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा है। हिन्दुओं की वर्तमान सड़ी–गली सामाजिक व्यवस्था का मूलोच्छेद कर जब तक नये समाज का निर्माण नहीं हो जाता जब जक समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों, पीड़ितों, दलितों एवं आदिवासियों का कल्याण नहीं हो सकता। आप, हम पर मुखापेक्षी न होकर अपनी शक्ति को पहचानें तथा समाज में अपना गौरवपूर्ण स्थान बनाकर देश की राजनीति एवं शासन संबंधी कार्यों में बढ़–चढकर भाग लें। मुट्ठी भर लोगों द्वारा परिगणित जाति के लोगों को उनके पैरों के तले दबे रहने का जमाना लद चुका। अम्बेडकर ने कहा– ''भारतीय संविधान में समस्त भारतीयों को सामाजिक समानता का अधिकार दिया गया है। दो हजार वर्षों तक हमारी आत्मा को इस तरह कुचला गया है कि अब हम इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते। देश में हम दलितों, पिछड़ों, शोषितों और शूद्रों की संख्या 90 प्रतिशत है। देश की शासन–सत्ता हम अपनी हाथ में ले लेंगे जिस प्रकार विदेशों में सामाजिक अत्याचार का विरोध किया गया उसी तरह हमें भी अपनी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का मूलाच्छेद कर देश का नवनिर्माण करना है। इसके लिए शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष के लिए आगे बढ़ो। कायर बराबर मरता है किन्तु वीर पुरूष कभी नहीं मरता।

सारणी संख्या– 1

लिंग	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	कुल
पुरूष	4,06,579	72,081	4,78,660
महिला	27,459	13,158	40,617
कुल	4,34,038	85,239	5,19,277

टेबल संख्या 1 से ज्ञात होता है कि बिहार में अनुसूचित जातियों की कुल साक्षरों की संख्या 5,19,277 जिसमें पुरूष साक्षरों की संख्या 4,78,660 है इनमें 4,06,579 ग्रामीण क्षेत्र की तथा 72,081 शहरी क्षेत्र की है। महिला साक्षरों की कुल संख्या 40,617 है इसमें ग्रामीण क्षेत्र 27,459 तथा शहरी क्षेत्र से 13,158 है। 1971 में बिहार की सम्पूर्ण साक्षरता दर 20 प्रतिशत थी जबकि अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर 19.5 प्रतिशत और सम्पूर्ण भारतवर्ष की साक्षरता दर 29 प्रतिशत थी।

स्वतंत्रता के पश्चात बिहार में अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक विकास के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम बनाए गए तथा इसे सुचारू रूप से क्रियान्वित किया गया। इस कार्य को शिक्षा विभाग के प्रमुख से लेकर सभी उच्च स्तरीय पदाधिकारी एवं सरकारी ने अपना भरपूर योगदान दिया। शैक्षणिक विकास के लिए एक ठोस कार्यक्रम बनाया गया जिसमें इन सभी बातों को प्राथमिकता दी गई–

1. आवासीय विद्यालय खोलना।
2. मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति प्रदान करना।
3. मैट्रिक बाद छात्रवृत्ति प्रदान करना अर्थात उच्च–स्तरीय पढ़ाई के लिए।
4. अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए कल्याण छात्रावास।
5. शिक्षण संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण।
6. कोचिंग इन्स्टीच्यूट्स।
7. रात्रि पाठशाला और प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम

इन सभी कार्यक्रमों की क्रियान्वयन की जिम्मेवारी सरकार के कल्याण विभाग और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को सौंपी गयी। इन दोनों विभागों के माध्यम से ही बिहार में अनुसूचित जातियों का शैक्षणिक विकास सम्भव हुआ। 1946 से लेकर 1951 तक सरकार द्वारा खासकर इस विषय पर विशेष रूप से खर्च नहीं हुआ बल्कि बिहार में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए, सामाजिक, स्वास्थ्य, आवास, आर्थिक मदद एवं शैक्षणिक विकास के मद में कुल 21.10 लाख रूपये खर्च किए गए।[16] 1951 के बाद अनुसूचित जातियों के विकास के लिए सारे कार्यक्रमों का निर्धारण कल्याण विभाग ही करती है। इस वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता, बच्चों को पढ़ने के लिए, स्कूल, छात्रावास, किताबें खरीदने एवं रहने–सहने के लिए छात्रवृत्ति का भुगतान कल्याण विभाग ही करती है। इस वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता, बच्चों को पढ़ने के लिए, स्कूल, छात्रावास, किताबें खरीदने एवं रहने–सहने के लिए छात्रवृत्ति का भुगतान कल्याण विभाग ही करती है।

स्वतंत्रता के पश्चात 1950 से लेकर 1970 तक सरकार द्वारा अनेक पंचवर्षाय योजनाएँ तैयार की गई। इन पंचवर्षीय योजनाओं में बिहार में अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक विकास के लिए अनेक कार्यक्रम बनाये गये तथा इसे सही रूप से क्रियान्वयन करने का भी प्रयत्न किया गयां सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के दौरान शैक्षणिक विकास के तहत् कितने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च विद्यालय, कॉलेज, आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास खोले गये। इस वर्ग के बच्चों के विकास के लिए कितना आर्थिक मदद किया गया। सामान्य एवं तकनीकी कितने बच्चों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान किया गया तथा कितने बच्चे को पुस्तकें प्रदान हुए, नाश्ता पर कितने खर्च किये गये। इन सब को शामिल किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कुन 59.67 लाख रूपये खर्च किये गये। इस योजना से 45209 छात्रों को लाभान्वित किया जा सका, 18 छात्रावास खोले गए और छात्रावासों का भवन निर्माण हुआ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956–61 के दौरान 29800 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। 11 छात्रावास खोले गये और 2 स्कूल भवनों का निर्माण हुआ। तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत् इस वर्ग के बच्चे के शैक्षणिक विकास (1961–66) पर कुल 278 लाख रूपये खर्च किए गए। इस योजना के दौरान 77,850 उच्च विद्यालय के छात्रों, 12500 प्राथमिक विद्यालय के छात्रों, 6000 माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई तथा 1000 तकनीकी छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई। 19 छात्रावास, 18 आवासीय विद्यालय खोले गए।

सरकार द्वारा 1966–67 में पंचवर्षीय योजना के जगह पर वार्षिक योजना लागू की गई। इस योजना में भी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के बच्चों के शैक्षणिक विकास पर विशेष रूप से खर्च किए गए। वार्षिक योजना 1966–67 में सरकार द्वारा 19 लाख रूपये खर्च किए गए। इसमें 1735 उच्च विद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई, 440 तकनीकी छात्रों को भी छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई। 22,500 माध्यमिक और हाईस्कूल के बच्चों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई। 8 उच्च विद्यालय खोले गए और 3 आवासीय विद्यालय भी खोले गएं 1967–68 की वार्षिक योजना में भी सरकार द्वारा बिहार की अनुसूचित जातियों (अछूत एवं दलित) के बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए 19.05 लाख रूपये खर्च किए गए। इस योजना के दौरान 6000 उच्च विद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई वार्षिक योजना 1968–69 में भी सरकार द्वारा इस मद पर कुल 19.05 लाख रूपये खर्च किए गए। इसमें केवल 100 तकनीकी छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जा सकीं। 1969–70 की वार्षिक योजना में सरकार द्वारा बिहार की अनुसूचित जातियों के बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए कुल 20.65 लाख रूपये खर्च किए गए। इस योजना से 14000 प्राथमिक, माध्यमिक स्कूल के छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई, 2 आवासीय विद्यालय खोले गये, 5 उच्च विद्यालय खोले गये और 3830 छात्रों को पुस्तकें उपलब्ध कराये गए। सरकार द्वारा बिहार में अनुसूचित जातियों के बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिएस विभिन्न श्रेणी के बच्चों को इनके वर्ग के आधार पर इनकी छात्रवृत्तियाँ निर्धारित की गई तथा इनको फायदा पहुँचाने का प्रयास किया गया। इस कार्य का क्रियान्वयन कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा की गई।

संदर्भ सूचीः

1. आर0 एल0 चन्दापुरी, भारत में ब्राह्मणराज एवं पिछड़ा वर्ग आंदोलन, पटना, 1996, पृ0–92।
2. बिहार सरकार कार्मिक विभाग पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम प्रतिवेदन (अनुसूचित जातियों के संबंध में), पटना, 1975।
3. आर0 एल0 चन्दापुरी, उपरोक्त, पृष्ठ 101।
4. प्रसाद, राजेन्द्र, महात्मा गाँधी एण्ड बिहार, पृष्ठ 77।

5. हरिजन, 14 फरवरी, 1940।
6. हरिजन, 11 फरवरी, 1933।
7. शिवम, के0 एस0 शिड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया, पृष्ठ 451–452।
8. श्रीवास्तव, एल0 पी0, पृष्ठ 356।
9. जैन्स, डब्लू एच0 मैरिज, इंडियन पार्लियामेंट, पृष्ठ 205।
10. बिहार विधानसभा, वाद–विवाद, 1948–49।
11. अस्पृश्यता निवारण कानून, 1953।
12. अस्पृश्यता निवारण कानून, 1953, धारा 4।
13. अम्बेडकर, बी0 आर0: महात्मा गॉधी एण्ड एनटचेविलिटी 1943, पृष्ठ 119।
14. शिवम, के0 एस0, पृष्ठ 454।
15. चौधरी, आर0 के0: हिस्टरी ऑफ बिहार, 1985, पृष्ठ 201।
16. बिहार सरकार कल्याण विभाग का प्रतिवेदनः 1970।

****